रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 15 दिसम्बर, 2004/24 अग्रहायण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 दिसम्बर, 2004

संख्या टी० पी० टी० ए० (3) 7/2004.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-14/88-टी० पी० टी०-111, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 27 जुलाई, 1999 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हे एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया

2834-राजपत्र/2004-15-12-2004—1,429. मूल्य : एक रुपया।

जाता है कि उक्त नियमों को इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

2. इन नियमों के सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति यदि इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उसे (उन्हें) प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्मजडेल भवन, शिमला-2 को नियत अवधि के भीतर भेज सकता है ।

3. नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप (पों) या सुझाव (वों) यदि कोई है/हैं पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2004 है ।

2. नियम-233 का प्रतिस्थापन.— हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के विद्यमान नियम, 233 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"233. दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरूद्ध अपीलों का प्ररूप और रीति.- (1) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अधिनियम की धारा 173 की उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, जिन आधारों पर की जा रही है उन्हें संक्षिप्त रूप में दर्शाते हुए ज्ञापन के रूप में की जाएगी तथा इसके साथ निर्णय और अधिनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की एक प्रति संलग्न की जाएगी ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41, नियम, 22 और 33 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, अधिनियम के अधीन दाखिल अपीलों को लागू होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (परिवहन)

[*Authoritative English text of this department notification No. TPT-A* (3)7/2004, *dated* 01-12-2004 *as required under clause* 3 *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st December, 2004

No. TPT-A(3)7/2004.—In exercise of the powers conferred by section-176 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), dated 27th July, 1999 *vide* this department notification No. 5-14/88-TPT-III, dated 12th July, 1999 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for General information of the public and a notice is hereby given that the said rules shall be finalised after the expiry of 30 days from the date of publication of the same in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. If any person, likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to these rules, he may send the same to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Armsdale Building, Shimla-2, within the above stipulated period.

3, Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the stipulated period, shall be considered by the Government of Himachal Pradesh before finalising the draft rules, namely:—

DRAFT RULES

1. *Short title.*—These Rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2004.

2. *Substitution of Rule* 233.—For the existing rule 233 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:—

"233-Form and manner of appeals against the award of Claims Tribunal.—(1) Every appeal under sub-section (1) of section 173 of the Act against the award of a Claims Tribunal shall be preferred in the form of a memorandum stating concisely the grounds on which the appeal is preferred, and shall be accompanied by a copy of the judgement and the award appealed against.

(2) The provision of Order 41, Rules 22 and 33 of the Code of Civil Procedure, 1908, shall, so far as may be, apply to the appeals filed under the Act.

By order,

Sd/-
Prineipal Seeretary (Transport).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित